उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0– गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

संख्याः 47(2)/24/ डी0आर0/सेवा–02/2011–12

दिनांक : 28 मई, 2016

साक्षात्कार कार्यक्रम

उत्तराखण्ड शासन के आबकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 02/सेवा–02/2012–13, दिनाँक 19 अक्टूबर, 2012 के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा दिनाँक 18 जनवरी, 2015 के परिणाम दिनाँक 20 मई, 2016 में सफल घोषित अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि अनुक्रमांकवार निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

प्राविधिक अधिकारी (आबकारी विभाग)

साक्षात्कार तिथि : 16 जून, 2016 (गुरुवार)

(01) उपस्थिति समय :: प्रथम सत्र ::पूर्वान्ह 09:30 बजे

800015	800123	800135	800145	800174

नोटः 1. उपरोक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाईन साक्षात्कार–ज्ञाप जारी किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार–ज्ञाप के साथ विस्तृत आवेदन–पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)**, प्रमाणीकरण–प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** तथा देशना–प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–04)** डाउनलोड करें तथा उन्हें पूर्ण रूप से भरते हुए अपने सभी प्रमाण–पत्रों और अंक–तालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

2. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को समस्त शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता/आरक्षण/ अनुभव प्रमाण–पत्र मूल रूप में सत्यापन हेतु आयोग में प्रस्तुत करेंगे।

3. अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार–ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

4. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का मूल अभिलेखों से सत्यापन, अनुक्रमांकवार पूर्वान्ह 09:30 बजे से प्रारम्भ होगा।

(एस0एन0 पाण्डे)
सचिव। 28.05.2016

मोबाईल नं. -7060002410
ई-मेल: sewatwo2@gmail.com

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

सं0 4765/24/डी0आर0/सेवा-02/2011-12 हरिद्वार :: दिनाँक :: 28 मई, 2016

प्राविधिक अधिकारी (आबकारी विभाग) साक्षात्कार परीक्षा

साक्षात्कार -ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन के **आबकारी विभाग** में **प्राविधिक अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार-कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में **पूर्वान्ह् 09:30 बजे** होना निर्धारित है।

2- इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार तिथि पर प्रस्तुत करेंगे-

(क) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) **(प्रपत्र संख्या-02)** (ख) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (Attestation Form) **(प्रपत्र संख्या-03)** तथा (ग) देशना-प्रपत्र (Index Card) **(प्रपत्र संख्या-04)**

3- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे :-

01. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवम् अंक-तालिका।
02. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवम् अंक-तालिका।
03. स्नातक उपाधि एवम् समस्त वर्षो की अंक-तालिका।
04. परास्नातक उपाधि एवम् समस्त वर्षो की अंक-तालिका।
05. अन्य अनिवार्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
06. अधिमानी अर्हताओं **(Preferential Qualifications)** सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
07. एक्स्ट्रा कैरिकुलर, विशेष योग्यता एवं अनुभव, जिसका दावा किया हो, सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
08. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम् निर्धारित प्रारूप पर जारी।
09. अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत् है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
10. यदि अभ्यर्थी के नाम/ पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

4- साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क **रू. 100.00 (आरक्षित वर्ग से रू. 60.00)** आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज **(आवक्ष)** के नवीनतम् दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6- यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण-पत्र **(Certificate)** अथवा उपाधि **(Degree)** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छ: माह पूर्व से अधिक का न हो।

7- विज्ञापन की शर्तो को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

भवदीय

(अनुराग श्रीवास्तव)
अनुसचिव।